**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, गोण्डा।**

**उपस्थितिः– चन्द्र मोहन चतुर्वेदी (एच०जे०एस०)**

**क्रिमिनल अपील संख्या–51/2022**

**CNR No- UPGD010010282022**

1– श्रीमती शकुन्तला देवी आयु करीब 51 वर्ष पत्नी श्री मक्केलाल (वादिनी)।

2– कुमारी श्रियंका आयु करीब 14 वर्ष पुत्री मक्के लाल द्वारा श्रीमती शकुन्तला देवी(माता संरक्षिका नाबालिक पीड़िता), निवासिनी ग्राम ज्ञानीपुर रामप्रसाद, भलुहा, थाना मनकापुर, जिला गोण्डा।

..... **अपीलार्थी/वादिनी।**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी।**

फौजदारी अपील धारा–101 किशोर अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांकित 24–12–2021 पारित
द्वारा न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड,
गोण्डा सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–237/2021
धारा–363,504,506,376 भारतीय दण्ड संहिता व
धारा–5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना मनकापुर, जिला गोण्डा।

---

**निर्णय**

यह दाण्डिक अपील वादिनी मुकदमा/अपीलार्थिनी के द्वारा सरकार बनाम सुनील कुमार, अपराध संख्या–237/2021, धारा–363, 504, 506, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना मनकापुर, जिला गोण्डा में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपचारी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांकित 24–12–2021 के माध्मय को स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध वादिनी द्वारा यह अपील योजित की गयी है।

अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त व अन्य के विरूद्ध प्रार्थना पत्र इस आशय का पुलिस अधीक्षक गोण्डा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ कि दिनांक 08–08–2021 को समय करीब 10 बजे रात्रि में प्रार्थिनी की नाबालिग लड़की कु० श्रीयंका आयु लगभग 13 वर्ष प्रार्थिनी के साथ शौच के लिये गाँव केबाहर खेत में गयी थी, प्रार्थिनी के पुत्री के साथ शौच के लिये उसकी भाभी देविया पत्नी बोबी व भाभी टिकी पत्नी उमेश भी गयी थी। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की पुत्री श्रियंका शौच करके जैसे ही वापस आने लगी, तो सड़क पर विपक्षीगण पहले से बोलेरो जीप लेकर खड़े थे, जैसे ही प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की पुत्री विपक्षी के बोलेरो के पास पहुंची, तो विपक्षीगण ने ने प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री श्रियंका को जबरदस्ती घसीटते हुए बोलेरो जीप में बैठा लिया। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के साथ शौच गयी, देविया व रिंकी ने विरोध किया, तो विपक्षीगण साली मादरचोद की भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए धमकी दिया कि यदि हल्ला मचाओगी, तो तुम लोगों को गोली मार दूंगा। प्रार्थिनी के हल्ला गोहार पर गाँव के तमाम लोग मौके पर जब तक पहुँचे, तब तक विपक्षीगण प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री को अपहरण करके भगा ले गये। वादिनी मुकदमा ने लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने का आग्रह किया।

वादिनी/अपीलार्थिनी के उक्त आशय की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक के आदेश के आधार पर अपराध संख्या–237/2021, धारा–363, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मनकापुर, जिला गोण्डा में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार के विरूद्ध धारा–363, 504, 506, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–5/6 पॉक्सो एक्ट व

अभियुक्तगण कनिकराम, घमंडी, लकामनरे व गोविन्दा के विरूद्ध धारा–363, 504, 506, 120B भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

अपचारी/अभियुक्त सुनील कुमार की ओर से अवर न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 24.12.2021 को स्वीकार किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थिनी /वादिनी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि सुनील कुमार अभियुक्त ने पीड़िता के सात अपहरण एवं बलात्कार सम्बन्धी गंभीर अपराध किया है। किशोर न्याय बोर्ड ने अपराध कि गंभीरता पर कोई विचार नहीं किया है और नही उस पर कोई निष्कर्ष दिया गया है। उपरोक्त अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात वादिनी मुकदमा व पीड़िता कुमारी श्रियंका को बराबर डरा धमका रहा है और जान से मारने की धमकी बराबर दे रहा है। अभियुक्त बदमाश किस्म का आदमी है, उसका उठना बैठना एवं उसकी सोहबत, संगत आपराधिक किस्म के व्यक्तियों के साथ है। अभियुक्त सुनील कुमार आये दिन शराब पीकर अपराधियों के साथ आकर गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकियाँ देता है, जिससे वादिनी एवं उसके पूरे परिवार का जीना दूभर हो गया है। अभियुक्त सुनील कुमार का नट जाति का खाना बदोश परिवार है तथा पूरा परिवार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है तथा सुनील कुमार अपने माता पिता की जानकारी एवं संरक्षण में आपराधिक गति विधियों में लिप्त है, सुनील कुमार के माता पिता द्वारा उसकी कोई देखरेख नहीं की जा रही है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जिला प्रोवेशन अधिकारी ने कोई सही ढंग से जांच एवं रिपोर्ट नहीं की है, बल्कि अभियुक्त को बचाने के लिये मनमानी रिपोर्ट दे दी है। उपरोक्त मामले में वादिनी एवं पीड़िता दिनांक 07–01–2022 को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बयान हेतु उपस्थित हुई थी, तब अभियुक्त व उसके साथ आये व्यक्तियों ने पीड़िता व उसकी माँ को जान माल की धमकी दिया तथा मुकदमा में सुलह हेतु दबाव बनाने लगे, इस सम्बन्ध में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मामले एवं उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त का पीड़िता एवं उसकी माँ एवं गवाहान के बयान होने तक जमीनत पर रहना उचित नहीं है। उक्त कथनों के आधार पर अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए विद्वान किशोर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2021 खण्डित करते हुए अपीलार्थिनी की अपील स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपील का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जिला प्रोवेशन अधिकारी की आख्या उसके विरूद्ध है। अपील निरस्त की जाये।

मैंने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

किशोर न्याय बोर्ड (बालको की देख रेख संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार किशोर की जमानत स्वीकृत नहीं जायेगी, जब वह सम्भावना हो कि वह ज्ञात–अज्ञात अपराधियों के संसर्ग में आ सकता है, उसे नैतिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक खतरा हो सकता है या, न्याय का उद्देश्य विफल हो रहा हो।

प्रस्तुत प्रकरण में किशोर पर नाबालिग के साथ बलात्कार करने जैसे जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया है। जिला प्रोवेशन अधिकारी के यहॉ से प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है जिसमें किशोर की सामाजिक स्थित ठीक व आर्थिक स्थिति ठीक नहीं बतायी गयी है। बालक के परिजन बालक को अपनी संरक्षण में रखना चाहते हैं किसी भी प्रकार के असामाजिक व अपराधिक गतिविधियों में शामिल न होने देने का आश्वासन भी दिया गया है। अतः बालक के भविष्य को देखते हुए व उसकी सर्वोत्तम हित को देखते हुए विचार किये जाने की बात कही गयी है।

प्रकरण में अपचारी किशोर द्वारा पीडिता के साथ जबरन बलात्कार करने का अभियोग लगाया गया है। यद्यपि अपचारी कर्मचारी ने अपने ऊपर लगाये गये अभियोग से इनकार किया है। चूंकि प्रकरण नाबालिग पीड़िता से बलात्कार करने से सम्बधित है जिसके सम्बन्ध में पीडिता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 द०प्र०सं० में कथन किया कि ''लगभग 1 माह पहले वह सुनील के साथ उन्नाव

अपने मन से गयी थी, वहाँ पर उसने और सुनील ने गोकुल मन्दिर में शादी कर ली। एक माह में वह सुनील के साथ उन्नाव में ही थी। लगभग पांच छह दिन पहले उससे ससुर चिल्लगिली को पुलिस पकड़ी, उसके बाद उसे पकड़कर गोडा ले आई। सुनील घर की सफाई का काम करता है। सुनील की उम्र 21 साल है। सुनील उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। वह खुश राजी से सुनील के साथ रह रही है। उसे अनपे पति के साथ ही रहना है। उसके ससुर की इसमें कोई गलती नहीं है। वह अपनी मर्जी से सुनील के साथ गयी थी।''

चूंकि पीडिता ने अपने बयान धारा 164 सी०आर०पी०सी० में मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा कि अभियुक्त द्वारा जबरन ऊंगली से बलात्कार किया जाना नहीं कहा है। पीड़िता के कथानानुसार किशोर अपचारी द्वारा पीड़िता को शौच करने जाते समय जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाकर जघन्य अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि उसके द्वारा स्वयं अपनी इच्छानुसार अपचारी के साथ जाने का स्पष्ट कथन किया गया है। उक्त बयानों के आधार पर इस आशय का आदेश न्याायलय द्वारा पारित किया गया है कि मामले की पी़डिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 सीआरपीसी में उपरोक्त अपराध के बाबत किशोर सुनील का कोई विरोध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त समय केस डायरी के साथ संलग्न पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 16–17 वर्ष के बीच बतायी गयी है और जिला प्रोवेशन अधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार किशोर को, उसकी माता अपनी गहन निगरानी और संरक्षण में रखे जाने का उल्लेख किया गया है, साथ ही साथ यह भी तथ्य पाया गया है कि किशोर पूर्व में अन्तरिम जमानत पर है और उसके द्वारा अन्तरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। मामले में सुनील कुमार घटना की तिथि पर मात्र 11 वर्ष 7 माह 7 दिन का था। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त के कथनों के आधार पर विद्वान किशोर न्यायबोर्ड द्वारा आदेश पारित करते समय को जमानत पर रिहा किया गया है। यदि कथित किशोर को जमानत पर छोड़ा जाता है तो किशोर को शारीरिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक खतरा नहीं होगा है।

पीड़िता के बयानों एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन उपरान्त अवर न्यायालय द्वारा विधिनुसार आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अवर न्यायालय द्वारा कोई वैधानिक त्रटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं हो रहा है। मामले के तथ्ये एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–24–12–2021 के विरूद्ध योजित अपील में बल नहीं पाया जाता है। तदनुसार अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अपीलार्थिनीगण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–51/2022 निरस्त की जाती है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकित **24.12.2022 पुष्ट** किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड का अभिलेख वापस भेजा जाये।

**(चन्द्र मोहन चतुर्वेदी)**
**दिनांकः 11–11–2022** **अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,गोण्डा।**

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित होकर सुनाया गया।

**(चन्द्र मोहन चतुर्वेदी)**
**दिनांकः 11–11–2022** **अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,गोण्डा।**



Digitally signed by Chandra Mohan Chaturvedi
Date: 2022.12.06 15:18:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court